न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

प्रा.पत्र संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15 / 27 / 2022	2022 / 42	16.02.2022	07.06.2022

—उनवान—

1. योगेश कुमार पुत्र भवानी प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम मांची तहसील बानसूर हाल आबाद किसान कॉलोनी बानसूर तहसील बानसूर जिला अलवर राज0।

—प्रार्थी

बनाम

1. श्योराम पुत्र लीला
2. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र लीला
3. प्रेम देवी पत्नी लीला
4. नाथी देवी पुत्री लीला जाति मेघवाल निवासी गिरूडी तहसील बानसूर जिला अलवर राज0।
5. नेपाल सिंह पुत्र किशोर सिंह
6. बजरंग सिंह पुत्र किशोर सिंह
7. प्रताप सिंह पुत्र हरनाथ सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गिरूडी तहसील बानसूर जिला अलवर राज0।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः—

01. श्री राजेश कुमार गुप्ता —वकील प्रार्थी

02. श्री ब्रह्मप्रकाश यादव —वकील अप्रार्थी सं0 1 लगा0 4

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर तहसीलदार बानसूर के न्यायालय में विचाराधीन वाद उनवान श्योराम वगै0 बनाम नेपाल सिंह वगै0 अन्तर्गत धारा 183 आरटीएक्ट प्रकरण सं0 03/2021 को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया।

विद्वान वकील प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मुंतकिल के सूक्ष्म तथ्य इस प्रकार है कि मिन प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 5 लगा0 7 के खिलाफ अप्रार्थी सं0 1 लगा0 4 ने गलत व मिथ्या तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय में उनवानी प्रकरण उनवान श्योराम वगै0 बनाम नेपाल सिंह वगै0 अन्तर्गत धारा 183 आरटीएक्ट प्रकरण सं0 03/2021 पेश किया जो विचाराधीन है। प्रार्थी को न्याय की कतई उम्मीद नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में फैसला करने हेतु जल्दी जल्दी पेशी दी जा रही है। अप्रार्थी सं0 1 लगा0 4 के अनुसार प्रकरण में पेशी नियत की जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण के प्रार्थी व पीठासीन अधिकारी आपस में मिले हुए है। ऐलानिया रूप से पीठासीन अधिकारी को अपना रिश्तेदार बताया है और कहते है कि हमारी पीठासीन अधिकारी से बातचीत हो गई है हमारे अनुसार निर्णय करवा लेंगे। अप्रार्थी 1 व 2 को कई मर्तबा न्यायालय समय में पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में आते जाते देखा है। जब किसी न्यायालय के पीठासीन अधिकारी में पक्षकारों का विश्वास नहीं रह जाता है तो पीठासीन अधिकारी से स्वंय ही प्रकरण की सुनवाई नहीं करनी चाहिए ताकि विधि की गरीमा बनी रह सके और पक्षकारों का विश्वास कानून में बना रहे। अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र मुंतकिल स्वीकार किया जाकर उक्त वाद को किसी भी दीगर न्यायालय में मुंतकिल फरमाये जाने के आदेश फरमावें।

विद्वान वकील अप्रार्थी सं0 1 लगा0 4 ने बहस व जवाब में निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा मुंतकिल प्रा0पत्र में पेश तथ्य मिथ्या, मनगढंत व वादकारण पैदा करने व प्रार्थना—पत्र की पूर्ति के लिए अंकित किये है। हम अप्रार्थीगण की पीठासीन अधिकारी से कोई जान पहचान नहीं है ना ही कोई सम्पर्क है। ना हमारे कहे अनुसार पीठासीन अधिकारी द्वारा तारीख पेशीयां नियत की जा रही है। विधिक प्रावधानों के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई की जा रही है। वर्तमान जमाबंदी में हम अप्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार है। उक्त मुंतकिल प्रा0पत्र अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में देरी करने की हैसियत से पेश किया गया है। अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र मुंतकिल खारिज किया जाता है।

तहसीलदार बानसूर द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया कि न्यायालय हाजा प्रार्थी अपना पक्ष पेश करने हेतु स्वतंत्र है। प्रकरण 22.07.2021 से न्यायालय में विचाराधीन है। प्रार्थीगण उक्त प्रकरण को लंबित

जिला कलक्टर, अलवर

कर पीडित पक्ष को न्याय से वंचित करना चाहते है। वर्तमान जमाबंदी में अप्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार है। पटवारी हल्का की रिपोर्टानुसार प्रार्थीगण का अप्रार्थीगण की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा सिद्ध होता है। पीडित पक्ष अनुसूचित जाति से संबंधित होने के कारण प्रकरण का निस्तारण मियाद अवधि में किए जाने हेतु प्रार्थीगण का प्रा0पत्र खारिज किया जाना आवश्यक है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1लगा0 4 की बहस सुनी गयी तथा पेश दस्तावेजात् का अवलोकन व मनन किया। प्रकरण 22.07.2021 से न्यायालय में विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बानसूर ने अपनी टिप्पणी में वर्तमान जमाबंदी में अप्रार्थीगण को रिकॉर्डेड खातेदार होना अंकित किया है। प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र मुंतकिल के संबंध में किसी स्वतंत्र व्यक्ति का शपथ–पत्र भी पेश नहीं किया है तथा प्रार्थना पत्र मुंतकिल करने के संबंध में प्रार्थी द्वारा कोई ठोस साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किये गये है। प्रार्थना–पत्र मुंतकिल खारिज योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मुन्तकिल खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे। तहसीलदार बानसूर प्रकरण में नियमानुसार शीघ्र सुनवाई कर प्रकरण का विधिवत निस्तारण करें। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.06.2022 को अद्योहस्तारकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिव प्रसाद नकाते)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)
जिला कलक्टर, अलवर

मा

त्व